भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1969**

उत्तर देने की तारीख : 11.02.2026

**अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, कल्याण और संरक्षण**

**1969. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दी गई रिपोर्टों और अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षा, भेदभाव, सामाजिक असुरक्षा और कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी से संबंधित बार-बार मुद्दों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो कानून और व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिसमें हिंसा, धमकी, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने और मूल अधिकारों से वंचित किए जाने के मामले शामिल हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक सद्भाव को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समन्वय से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त चिंताओं को दूर करने और पंजाब में अल्पसंख्यक समुदायों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशेष योजनाएं, निगरानी तंत्र या केन्द्रीय सहायता शुरू की गई है अथवा प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में 'लोक व्यवस्था' और 'पुलिस' राज्य सूची के विषय हैं। इस प्रकार ऐसे अपराधों को रोकने, पता लगाने और जाँच करने तथा विधिक प्रक्रियाओं के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(1) और (2), 16(1) और (2), 25(1), 26, 28, 29(2), 30(1), 30(1क), 30(2) के तहत प्रावधानों में अनिवार्य सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

हालांकि, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में ऐसी याचिकाएं प्राप्त होती हैं, जिनमें देश में अल्पसंख्यकों के विरूद्ध हिंसा, हमलों, धार्मिक अधिकारों आदि से संबंधित मामलों का उल्लेख होता है। साथ ही, आयोग कुछ घटनाओं का स्वत: संज्ञान भी लेता है।

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) द्वारा हिंसा, धमकाए जाने, धार्मिक स्थलों को क्षति अथवा मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने जैसी श्रेणियों के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं किया जाता है। तथापि, कानून एवं व्यवस्था तथा धार्मिक अधिकारों की श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध डेटा **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ): एनसीएम अधिनियम, 1992 की धारा 9(1)(घ) के अनुसार, याचिकाओं एवं स्वत: संज्ञान मामलों को शिकायतों के निपटान हेतु संबंधित प्राधिकारियों/राज्य सरकारों के समक्ष उठाया जाता है।

*****

**अनुबंध-I**

**"अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, कल्याण एवं संरक्षण" विषय पर दिनांक 11.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1969 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध–I**

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब से "कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामले" तथा "धार्मिक अधिकार" की श्रेणियों के अंतर्गत प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन:

| श्रेणी | वर्ष 2022-23 | वर्ष 2023-24 | वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|
| कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामले | 08 | 25 | 19 |
| धार्मिक अधिकार | 04 | 07 | 0 |